निरीक्षण आख्या

दिनांक 07.02.2015 को जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रस्तावित **चर्मा–जौरासी से बजानी मोटर मार्ग निर्माण** में प्रभावित हो रहे बॉज वृक्षों के संदर्भ में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

इस मार्ग का निरीक्षण पूर्व में भी तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा किये जाने पर प्रस्तावित रेखाकंन में संशोधन का सुझाव दिया गया था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सुझाव के अनुरूप पूर्व प्रस्तावित रेखाकंन में संशोधन कर लिया गया है। नये रेखाकंन में **कुल 257 वृक्ष** प्रभावित हो रहे है **जिनमें 154 वृक्ष** बांज प्रजाति के है। मौके पर स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रभावित होने वाले सूचित इन वृक्षों की संख्या वास्तविक स्थिति के अनुरूप नही है और इस कारण प्रभावित हाने वाले वृक्षों की पुनः गणना के निर्देश दिये गये थे। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा **अपने पत्रांक 2377/12–1 दिनांक 10.03.2015** से क्षेत्र में पुनः गणना कर जो सूचना सूचित की गयी है उसके अनुसार प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 416 होती हैं जिनमें 212 वृक्ष **0–10 व्यास श्रेणी (0–30 Girth Class) के है व 50 वृक्ष बांज** प्रजाति के है।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रभावित होने वाली वन भूमि मुख्यतः पंचायती व सिविल एवं सोयम वन भूमि है। पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित इस मार्ग से बजानी गॉव, जिसकी **जनसख्या 308 है,** को जोड़ने हेतु जो रेखाकंन प्रस्तावित किया गया है उसके अनुरूप प्रभावित होने **वाले 50 बांज** वृक्षों का पातन अपरिहार्य है। इन प्रभावित होने वाले **बांज वृक्षों में 32 वृक्ष 10–20 व्यास श्रेणी** के है, 0–10 व्यास क्षेणी के 212 वृक्षों के साथ ही इन वृक्षों का भी प्रत्यारोपण किया जाना होगा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।